

फर्द अहकाम

धन्नालाल बनाम कलभाण्डकर

नाम न्यायालय

केस संख्या S.D.O. - 1st
Jaipur

Suit

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	15.12.20	<p>आज दिनांक 7/12/20 को पत्रावली पेश हुई पीओसा अर्थात् अन्य सन्दर्भ पर संश्लेषित है। आ पत्रावली पूर्णानुसार दिनांक 15/12/20 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वादी, का स्वर्गकार्य दिनांक 26.11.2019 को हो गया है। काफ़ल-कुमाग्र की कोर से प्रार्थना-पत्र 022 R3 जा. की धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया था। काफ़ल-कुमाग्र की कोर से जरिफ़े अधिवक्ता शीशु सुनवार प्रार्थना-पत्र पेश किया गया था जिसे बाद निगम का निवेदन किया गया था, शामिल पत्रावली है। वादी के काफ़ल-कुमाग्र की कोर से प्रार्थना 022 R3 जा. की धारा 151 CPC न्याय दित में स्वीकार किया जाता है। काफ़ल-कुमाग्र वादी काफ़ल न्यायालय में उपस्थित हुए जिनकी इनके अधिवक्ता द्वारा पञ्चायत की गयी। न्यायालय क्षमता उनके द्वारा निवेदन किया गया कि वादीव प्रतिवादीगण के मध्य काफ़ल में लोड अदालत की भावना के मध्यनजर रखते हुए राजीनामा हो गया है। वे अब न्यायालय में विकारशील उच्च अन्यायी वाद को आगे नहीं चलाया चाहते हैं। वादी/काफ़ल कुमाग्र के मोरिन्क कथन व पत्रावली के अवलोकन से काफ़ल वाक्यत विग्न स्वीकार किया जाता है। अन्यायी वाद को न्यायालय से विग्न की भावना प्रदान की जाती है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली किशल सुमार नम्बर से कप्त हो।</p>



विनोद मोठा
 ओम सुमेश भोला
 20
 (को) 0813/07

राम खण्ड अधिकारी
 जयपुर (प्रथम) जयपुर